

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-45/2024-25

—: आदेश :—

मुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश की
क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

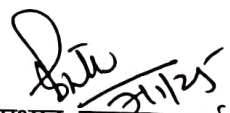
02/02/25

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदक (विक्रेता) 1. बिहारी महतो पिता-स्व0 मुचीराम महतो, 2. मुक्तेश्वर महतो पिता-स्व0 गांगु महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-पुपुनकी, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुपुनकी, थाना नं0-24, खाता नं0 पुराना-65, नया-704, प्लॉट नं0 पुराना-898, नया-658, रकवा-8.05 डी0 भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 371/भू0सु0, दिनांक 05.08.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 2540 दिनांक 26.12.2024 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है :-

1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान मोचीराम महतो दीगर के नाम से दर्ज है।
2. भूमि खतियान के द्वारा प्राप्त है। विक्रेता का रैयत से सम्बन्ध पिता के पिता है।
3. पंजी II रैयत से विक्रेता का संबंध पिता है।
4. (क) विक्रेता ग्राम-पुपुनकी, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो का मूल निवासी है।
(ख) क्रेता ग्राम-पुपुनकी, पो0-पुपुनकी आश्रम, थाना-चास(मु0), जिला-बोकारो के मूल निवासी है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं।
6. बिक्रेता एवं क्रेता (SC/OBC के मामले में) एक ही जिला बोकारो के अन्तर्गत आते हैं। बिक्री की जानेवाली भूमि बोकारो के अन्तर्गत आता है।
7. बिक्रेता जाति के कुर्मी है एवं क्रेता जाति के कुर्मी है।
8. बिक्री की जानेवाली भूमि विवाद रहित है।
9. बिक्री की जानेवाली भूमि सैरात/भूदान/गैरमजरूआ आम व खास/कब्रिस्थान/सरना/मसना/ धार्मिक-स्थल/अधिग्रहण इत्यादि से बाहर है।
10. प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-1 एकड़ 50 डी0 जमीन अवशेष बचता है।
11. बिक्री हेतु आवेदित प्लॉटों में पंजी II के अनुसार कुल 15 डी0 भूमि है।
12. भूमि बिक्री के उपरान्त विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।
13. बिक्रेता द्वारा बिक्री की जानेवाली भूमि बिक्रेता को खतियान से प्राप्त है।
14. बिक्री की जानेवाली भूमि का जमाबंदी संख्या 1/703 है, जमाबंदी मोचीराम महतो के नाम पर कायम है, लगान रसीद वर्ष 2023-24 तक निर्गत है। (ऑनलाईन जमाबंदी के भाग सं0-1, पृष्ठ सं0-703 में अंकित है।
15. विक्रेता का वंशावली अभिलेख के साथ संलग्न है जो अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित है।
16. स्थल पर विक्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है।
17. बिक्री की जानेवाली भूमि का किस्म गोड़ा III है।
18. आवेदक को मौजा-पुपुनकी, थाना नं0-24, खाता नं0 पुराना-65, नया-704, प्लॉट नं0 पुराना-898, नया-658, रकवा-8.05 डी0 भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।
19. प्रतिवेदन के साथ आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संलग्न है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख
	विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० क्रमशः JHLRCO/2020/21967 दिनांक 04.02.2020, JHLRCO/2020/21985 दिनांक 04.02.2020 एवं क्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं० JHRC/2017/883713 दिनांक 08.08.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत आवेदक (विक्रेता) 1. बिहारी महतो पिता-स्व० मुचीराम महतो, 2. मुक्तेश्वर महतो पिता-स्व० गांगु महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-पुपुनकी, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-पुपुनकी, थाना नं०-24, खाता नं० पुराना-65, नया-704, प्लॉट नं० पुराना-898, नया-658, रकबा-8.05 डी० भूमि (क्रेता) मीरा महतो, पति-निमाई चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी(महतो), ग्राम-पुपुनकी, टोला-कामनागोड़ा, थाना-चास(मु०), जिला-बोकारो को विक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित एवं संशोधित,  भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।	C.C. Jassal  5/1/25